

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाबोटा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बाबोटा

—:आदेश:- (146/2018)

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भूअ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------|----------|-------------|--------------------------------------|--|
| | बाबोटा | 319 | वेरली खा. पं. मादफुखा | वेरली खा. पं. मादफुखा |
| | मोहनपुरा | 44 | — n — | — n — |
| | मोहनपुरा | 43 | — n — | — n — |
| | एखली | 49 | — n — | — n — |
| | चक्राबाज | 16 | — n — | — n — |

(निर्देशित अधिकारी)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-20
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाबोटा कैम्प
पदेन सहा.कलक्टर,

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(मापीठासीन अधिकारी)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाबोटा कैम्प